न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिमी,
लखनऊ।
कि0 केस नं0– 657/16
आर.सी. नं0–0062016ए0025
स्टेट बनाम रवि कुमार गुप्ता एवं अन्य

दिनांक 07.03.19

वाद पुकारा गया। प्रार्थना पत्र बी–28 एवं आपत्ति बी–33 तथा प्रार्थना पत्र बी–30 एवं आपत्ति बी–34 तथा पूरक उन्मोचन प्रार्थना पत्र बी–51 आपत्ति बी–54 पर पूर्व में सुना जा चुका था।

प्रार्थना पत्र बी–28 अभियुक्त रवि कुमार गुप्ता की ओर से उन्मोचन हेतु इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन कथानक के अनुसार शिकायतकर्ता बदरूज्जां आलम ने अभियुक्त रवि कुमार गुप्ता
द्वारा रू0–15,000/– रिश्वत के रूप में मांगने की शिकायत की जिस पर सी0बी0आई0 टीम द्व ारा प्री ट्रैप की कार्यवाही की गई और तदुपरांत ट्रैप की कार्यवाही पर बाबू साहब उर्फ इन्द्रजीत सिंह को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया और उसके उपरांत पोस्ट ट्रैप मेमो बनाया गया। आवेदन पत्र में यह भी कहा गया है कि पोस्ट ट्रैप मेमो में जो वार्तालाप होना बताया गया है, वह रविगुप्ता, शिकायतकर्ता एवं अमन चन्द्र मंझावर के बीच में हुई है। शिकायतकर्ता उसी दिन तीसरी बार बैंक में आया और उसने बाबू साहब उर्फ इन्द्रजीत सिंह को पैसा देने की बात कही है। जिसकी अभियुक्त/प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं है। शिकायतकर्ता और सी0बी0आई0 टीम ने एक काल्पनिक कहानी तैयार की है। सत्यापन मेमो फर्जी रूप से तैयार की गई है। सारे तथ्य झूॅठे है और जो दस्तावेज ट्रैप की कार्यवाही के दौरान, उसके पूर्व और पश्चात तैयार किये गये थे, वे सब फर्जी है। शिकायतकर्ता ने जानबूझ कर के सी0बी0आई0 टीम को गलत सूचना दिया और उसके आधार पर फर्जी रूप से अभियुक्त/प्रार्थी को फॅसाया गया है। इस प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने ट्रैप की कार्यवाही में 9 दिन पूर्व प्रार्थी अभियुक्त से मिलना बताता है जबकि प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 30 जुलाई से 5 अगस्त 2016 तक अवकाश पर था। 6 अगस्त 2016 को शनिवार एवं 7 अगस्त 2016 को रविवार का अवकाश था। 8 अगस्त को शिकायतकर्ता बैंक नहीं आया और 9 अगस्त 2016 को उसे डेपुटेशन पर बसन्तपुर ब्रांच भेज दिया गया था। 10 अगस्त 2016 को भी वह अवकाश पर था। दिनाक 11 अगस्त 2016 को शिकायतकर्ता का लोन स्वीकृत होकर उसके खाते में जमा कर दिया गया था। इस दौरान शिकायतकर्ता जब अभियुक्त से मिला ही नहीं तब रिश्वत मांगने का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है और इस आधार पर ही शिकायतकर्ता ने झूॅठे तथ्य सी0बी0आई0 के सम्मुख रखे है। प्रार्थना पत्र में अनेकों उद्वरण प्रस्तुत करके यह कहा गया है कि शिकायतकर्ता हितबद्व साक्षी है और उसकी साक्ष्य का स्वतंत्र साक्षी से समर्थन नहीं है। आरोप निर्मित किये जाते समय पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को न्यायालय को अवश्य देखना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पत्रावली पर आवेदक अभियुक्त के विरूद्व आरोप निर्मित करने हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है या नही। यह भी सन्दर्भित किया गया है कि धारा 120 बी भा0द0सं0 के आवश्यक तत्व जो अपराधिक षडयंत्र का हिस्सा है, इस प्रस्तुत प्रकरण में पूर्ण नहीं होते है और धारा 120बी भा0द0सं0 के साथ किसी धारा को सम्मिलित करते हुए आरोप निर्मित नहीं किया जा सकता। अतः अभियुक्त को उन्मोचित किया जाय।

प्रार्थना पत्र बी–30 अभियुक्त इन्द्रजीत सिंह की ओर से वास्ते उन्मोचन प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी को उक्त वाद में झूँठा फॅसाया गया है। प्रार्थी निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी इन्द्रजीत सिंह के विरूद्व कोई आरोप नहीं थे। सब इन्सपेक्टर अरूण कुमार शुक्ला द्वारा दौरान सत्यापन प्रार्थी के विरूद्व कुछ भी नहीं पाया गया। प्रार्थी द्वारा रिश्वत मांगने या प्राप्त करने का कोई साक्ष्य नहीं है। सी0बी0आई0 द्वारा प्री ट्रैप मेमों व पोस्ट ट्रैप मेमो बनाया गया है। प्री ट्रैप मेमों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि डिकाय द्वारा कुल रू0 10,000/–का ही प्रबन्ध किया गया जबकि रू0 15,000/–रिश्वत में मांगे गये थे और पोस्ट ट्रैप मेमों में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त रवि कुमार गुप्ता रिश्वत में मांगे गये रूपये 15,000/– के एवज में रू0 14,000/– पर राजी हुए थे और डिकाय की जेब में समय 3.27 बजे डिजीटल वॉयस रिकार्ड रखा गया और शिकायतकर्ता आनन्द स्वरूप श्रीवास्तव व आर0पी0 मिश्रा द्वारा बैंक में जाते देखा गया और समय करीब 4.05 बजे शाम को बैंक से बाहर निकलते देखा तत्पश्चात ट्रैप टीम बैंक के अन्दर गयी और डीकाय व श्री आनन्द स्वरूप श्रीवास्तव द्वारा रवि गुप्ता को पहचाना गया, जिन्होने रिश्वत मांगी थी जिन्होने रिश्वत की धनराशि बाबू साहब नामक व्यक्ति को देने के लिए कहा था। प्रार्थी बैंक कर्मचारी नहीं है। प्रार्थी द्वारा रिश्वत की कोई धनराशि मांगी नहीं गई थी। सी0बी0आई0 द्व ारा अभियुक्त के घर की तलाशी लेने पर कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। इस तथ्य का कोई साक्ष्य नहीं है कि प्रार्थी द्वारा रिश्वत मांगा गया और उसे दिया गया पैसा रिश्वत का था। उस पर लगाया गया आरोप गलत व बेबुनियाद है। प्रार्थी उस दिन अपने खाता सं0–3196011154 में रू0 5,000/–जमा करने आया थां। उस पर किसी भी धारा का आरोप नहीं बनता है और न ही इस बात का कोई साक्ष्य है कि प्रार्थी लोक सेवक है। उसके द्वारा आपराधिक षडयंत्र करने का कोई साक्ष्य नहीं है। कोई अपराधिक इतिहास नहीं है और न ही सजायाफ्ता हे। अतः उसे प्रस्तुत प्रकरण में उन्मोचित किया जाय।

प्रार्थना पत्र बी–28 पर आपत्ति बी–34, एवं बी–30 पर आपत्ति बी–34 सी0बी0आई0 की ओर से प्रस्तुत की गई। उक्त आपत्ति में सी.बी.आई. की ओर से यह कथन किया गया कि शिकायतकर्ता बदरूज्जमा आलम की ओर से एस0पी0 सी.बी.आई./ए.सी.बी. के कार्यालय में दिनांक 8.8.16 को फैक्स द्वारा शिकावत की गई थी जिसका सत्यापन दिनांक 10.8.16 एवं 11.8. 16 को स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में किया गया और दिनांक 11.8.16 को केस पंजीकृत किया गया। शिकायतकर्ता बदरूज्जमा आलम द्वारा यह कहा गया था कि पूर्वान्चल बैंक शाखा परतावल स्थित महाराजगंज में किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए फील्ड आफिसर रवि कुमार गुप्ता द्व ारा 15,000/–रूपये रिश्वत की मांग की गई और इसलिए उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता एवं रवि कुमार गुप्ता के बीच जो वार्तालाप रिश्वत के लेन देन के सम्बन्ध में हुई, उसकी रिकार्डिंग की गई और उसका ट्रांस्क्रिप्शन पत्रावली पर दाखिल किया गया है और उस कन्वरसेशन से यह साबित है कि रिश्वत की मांग की जा रही थी जो बाद में रू0 14,000/– और बाद में रू0 12,000/–रिश्वत की मांग की गई तथा रू0 10,000/– ट्रैप की कार्यवाही के दौरान रवि कुमार गुप्ता ने बाबू साहब उर्फ इन्द्रजीत सिंह को इशारे से लेने के लिए कहा था। अभियुक्त रवि कुमार के कहने पर अभियुक्त इन्द्रजीत सिंह उर्फ बाबू साहब ने रू0 10,000/–शिकायतकर्ता से बतौर रिश्वत प्राप्त किया। उक्त बाबू साहब उफ इन्द्रजीत सिंह को ट्रैप की कार्यवाही के दौरान सी0बी0आई0

द्वारा रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त बाबू साहब उर्फ इन्द्रजीत सिंह ने स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त रवि कुमार गुप्ता के कहने पर ही यह धनराशि प्राप्त किया है। उसने स्वयं

इसकी मांग नहीं किया था। आपत्ति में यह भी कहा गया है कि बदरूज्जमा आलम की शिकायत पर ट्रैप की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। प्री–ट्रैप की कार्यवाही के दौरान प्री––ट्रैप मेमोरडम बनाया गया तथा स्वतंत्र साक्षियों और शिकायकतकर्ता को ट्रैप की कार्यवाही को समझाया गया और उसके पश्चात नोटो पर फिनाफथलीन पाउडर लगा कर शिकायतकर्ता की जेब में रखा गया और उसके पश्चात शिकायतकर्ता रवि कुमार गुप्ता से मिलने और उन दोनों के मध्य जो भी वार्तालाप हुआ उसका माइक्रो एस.डी. कार्ड पर डिजीटल वॉइस रिकार्ड के माध्यम से रिकार्ड किया गया और उसके आधार पर ट्रांसक्रिप्ट, पोस्ट मेमोरडम तैयार किया गया। अभियुक्तगण की आवाज का नमूना लेकर सी.एफ.एस.एल. को भेजा गया जिसकी भी सकरात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई। इससे यह पूर्णतया साबित है कि अभियुक्त रवि कुमार गुप्ता द्वारा शिकायतकर्ता से अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में रू0 15,000/– रिश्वत की मांग की गई और रू0 10,000/– रिश्वत के रूप में अभियुक्त बाबू सिंह उर्फ इन्द्रजीत सिंह द्वारा प्राप्त किया गया और इन्द्रजीत सिंह को सी0बी0आई0 टीम द्वारा रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। दोनें अभियुक्तगण ने उक्त रिश्वत की धनराशि प्राप्त करने में योगदान रहा है। अतः अभियुक्तगण के उन्मोचन प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया जाय।

पूरक प्रार्थना पत्र बी–51 अभियुक्त रवि कुमार गुप्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया और यह कहा गया कि दिनांक 26.07.18 को अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है जिसमें धारा 13(1)(डी) पी.सी.ऐक्ट के अन्तर्गत कोई आरोप निर्मित नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में अभुिक्त की ओर से अनेको उद्वरण तथा भिन्न भिन्न अधिनियमों में वर्णित परिभाषयें उद्वरित की गई है और यह अनुरोध किया गया है कि अधिनियम में संशोधन हो जाने के कारण धारा 13(1)(डी) पी.सी.ऐक्ट चूंकि omitt कर दी गई है। अतः उक्त धारा में अभियुक्त के विरूद्व आरोप निर्मित नहीं किया जाना चाहिए। अभियुक्त को समस्त आरोपों से उन्मुक्त कर दिया जाय।

आपत्ति बी–54 सी0बी0आई0 की ओर से प्रस्तुत की गई और यह कथन किया गया कि प्रकरण में आरोप पत्र वर्ष 2016 में दाखिल किया गया जबकि संशोधन दिनांक 26.7.18 को लागू हुआ है, जिसमें धारा–13 की उप धारा–1 को धारा 13 में ही प्रतिस्थापित कर दिया गया है। संशोधन के परिणाम इस रूप में नहीं है कि अभियुक्त को पूर्व में इस धारा के अन्तर्गत दाखिल किये गये आरोप पत्र में वर्णित आरोपों से उन्मोचित कर दिया जाय। बल्कि जनरल क्जाजेज ऐक्ट तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के उद्वरणो के दृष्टिगत संशोधन को भूतलक्षित प्रभाव वाला नहीं माना जा सकता। अतः अभियुक्तगण के विरूद्व इस धारा में भी पूर्व की भॉति आरोप निर्मित किया जाना उचित है। प्रार्थना पत्र बी–51 निरस्त कर दिया जाय। आपत्ति में भी सी0बी0आई0 की ओर से अनेक उद्वरणों एवं अधिनियम के सन्दर्भ दाखिल किये गये है।

अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं लोक अभियोजक को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया।

अभियुक्तगण रवि कुमार गुप्ता एवं बाबू साहब उर्फ इन्द्रजीत सिंह की ओर से जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये है, उनमें में उनके आधार वर्णित किये गये है जिन पर अभियुक्तगण को उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की

गई है। इस सन्दर्भ में पत्रावली पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये समस्त प्रार्थना पत्रों, दरस्तावेजों एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता बदरूज्जमा आलम की शिकायत को विधिवत स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में सत्यापन किया गया तदुपरांत मामला दर्ज कर प्री––ट्रैप की कार्यवाही की गई तथा उसके पश्चात रिश्वत मांगने वाले अधिकारी को रंगेहाथ गिरफ्तार करने का निर्णय लिया गया और समस्त कार्यवाही सम्पादित करने के उपरांत

शिकायतकर्ता को डी0वी0आर0 लगा कर अभियुक्त रवि कुमार गुप्ता के पास भेजा गया और दोनों के मध्य जो बातचीत हुई उसे रिकार्ड किया गया। काफी निगोशियेशन के बाद रू0 10,000/–रिश्वत के रूप में अभियुक्त रवि कुमार गुप्ता के इशारे पर अभियुक्त बाबू साहेब उर्फ इन्द्रजीत सिंह ने प्राप्त किया जिसे सी0बी0आई0 टीम द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त बाबू साहब उर्फ इन्द्रजीत सिंह ने स्वीकार किया कि बरामद रूपयों को उसने अभियुक्त रवि कुमार गुप्ता के कहने पर प्राप्त किया है। अभियुक्तगण द्वारा एक षडयंत्र के तहत रिश्वत की मांग की गई और उसे स्वीकार किया गया है जो पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य से प्रथम दृष्टया साबित है।

अभियुक्तगण द्वारा अपने अपने आवेदन पत्र में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उद्धरणों का उल्लेख किया गया है। उसके अनुसार आरोप निर्मित किये जाते समय पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय एवं दस्तावेजी साक्ष्य का इतना मूल्याकन अवश्य
करना चाहिए जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि अभियुक्तगण के विरूद्व क्या मामला बनता है और उस मामले को साबित करने हेतु क्या साक्ष्य और किस रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है।

इसी परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये मौखिक एवं उपलब्ध कराये गये दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन अवश्य किया गया जिसमें शिकायतकर्ता का शिकायती प्रार्थना पत्र, उस शिकायतील प्रार्थना पत्र पर सी0बी0आई0 टीम द्वारा किया गया सत्यापन, प्री–ट्रैप मेमों, कैश डिक्लीयेशन रिपोर्ट, पोस्ट ट्रैप मेमो, वॉइस आइडेनटीफिकेशन कम ट्रांसक्रप्शन मेमो, सी0एफ0एस0एल0 की केमिकल इग्जामीनेशन रिपोर्ट, फॉरेन्सिक वॉइस इग्जामीनेशन रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया गया। इन सभी प्रपत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा जिन कथनों एवं तथ्यों का उल्लेख किया गया है, वे आरोप विरचित किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त है।

विधि व्यवस्था **स्टेट आफ देहली बनाम ज्ञानदीन 2001(42) ए सी सी 39 सुप्रीम कोर्ट, स्टेट आफ मध्य प्रदेश बनाम एस.बी. जान्स जे.टी. 2000(1) सुप्रीम कोर्ट 169** में मा0 न्यायालय द्वारा यह अभिमत पारित किया गया है कि आरोप विरचित करते समय पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के बारे में निष्कर्ष नहीं करना है और मात्र यह देखा जाना है कि क्या वास्तव में प्रथम दृष्टया अपराध बनता है अथवा नहीं।

विधि व्यवस्था **संघाई ब्रदर्श प्रा0 लि0 बनाम संजय चौधरी (2008)10 एससी 681, राकेश बनाम स्टेट आफ यू.पी. 2009 (67)एससी 191 इलाहाबाद** में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत पारित किया गया है कि यदि पत्रावली में यदि अभियुक्त के विरूद्व मजबूत व पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है तो भी आरोप विरचित किया जा सकता है।(Charge can be framed even on the basis of strong suspicion founded upon materials before the court which leads the court to form a presumptive opinion as to the existence of the factula ingredients.) के आधार पर मात्र यह देखा जाना है कि क्या प्रथम दृष्टया

अपराध बनता है या नहीं।

पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्व पर्याप्त अभिलेखीय साक्ष्य मौजूद है जिस पर सी0बी0आई0 द्वारा विश्वास व्यक्त किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व उपरोक्त विधि व्यवस्था के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्व आरोप निर्मित किये जाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रार्थना पत्र बी–28 एवं बी–30 तदनुसार निरस्त किये जाने योग्य है।

अभियुक्त रवि कुमार गुप्ता की ओर से प्रार्थना पत्र बी–51 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि धारा–13(1)(डी) पी.सी.ऐक्ट में संशोधन के उपरांत उक्त धारा को omitt किये जाने के कारण उसके अन्तर्गत आरोप विरचित नहीं किया जा सकता है। जबकि सी0बी0आई0 द्वारा

आपत्ति बी–54 प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि जनरल क्लाजेज एक्ट 1897 के प्राविधान एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर प्रतिपादित किये गये सिद्वान्त के आधार पर संशोधन के उपरांत भी धारा–13(1) पी.सी.ऐक्ट में किये गये संशोधन भूत लक्षित प्रभाव नहीं रखते है और केवल संशोधन के आधार पर वर्ष 2016 में दाखिल किये गये आरोप पत्र में वर्णित आरोपों के लिये अभियुक्त को उन्मोचित नहीं किया जा सकता है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र वर्ष 2016 में दाखिल किया गया है और प्राविधान में संशोधन दिनांक 26.7.18 से प्रभावी हुआ है। संशोधन के उपरांत उक्त धारा को omitt हो जाने से वर्ष 2016 में किया गया अपराध पूरी तरह से समाप्त व क्षम्य नहीं हो जाता है और इस आधार पर अभियुक्त को उन्मोचित नहीं किया जा सकता। जो उद्वरण एवं इस अधिनियम के प्राविधान प्रार्थना पत्र व आपत्ति में पक्षकारों द्वारा उठाये गये है, उनका भी मेरे द्वारा सम्यक रूप से अवलोकन किया गया है और यह पाया गया कि दिनांक 26.07.2018 को ऐक्ट में किये गये संशोधन का भूतलक्षित प्रभाव नहीं है। अतः अभियुक्त के विरूद्व धारा–13(1)(डी) पी.सी.ऐक्ट में आरोप विरचित किये जाने का प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः प्रार्थना पत्र बी–51, उसमें वर्णित तथ्यों व आधारों पर, निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण रवि कुमार गुप्ता एवं बाबू साहब उर्फ इन्द्रजीत सिंह
द्वारा आरोप से उन्मोचित किये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र बी–28, बी–30 एवं बी–51 निरस्त किये जाते है।

पत्रावली वास्ते आरोप विरचित किये जाने हेतु दिनांक–27.03.19
को पेश हो।

(डा0 विदुषी सिंह)
विशेष न्यायाधीश,एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0,पश्चिमी,लखनऊ।